पत्र संख्या 8-102/91/एफ.सी.-सी.813

दूरभाष: 75984.

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
बी-1/272 सेक्टर "के" अलीगंज,
लखनऊ-226 020.

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन विभाग,
उ०प्र०सरकार,
लखनऊ।

दिनांक 15/17-6-94.

विषय :- जनपद सोनभद्र में मै० कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट को पम्प हाउस एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन हेतु 3.79 हे० वन भूमि का 25 वर्षो हेतु लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपने पत्र सं० 514/14-2-503/1961 दिनांक-18-4-91 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 (दो) के तहत केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी गई थी।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जनपद सोनभद्र में मै० कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनूकोट को के निर्माण हेतु 3.79 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में लाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत है।

(1) राज्य सरकार द्वारा समतुल्य गैरवानिकी भूमि का वन भूमि के पक्ष में हस्तान्तरण एंव दाखिल खारिज करने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

(2) याचक विभाग द्वारा समतुल्य गैरवानिकी भूमि/वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मांगी गई धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त शर्त के परिपूर्ण होने सम्बन्धी परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 (दो) के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(दीपक खन्ना)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उ०प्र०, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. नोडल अधिकारी एंव वन संरक्षक, वन उपयोग वृत, वन विभाग, उ०प्र०, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. सहायक वन महानिरीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय), पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
4. आदेश पत्रावली।

ह०/- (दीपक खन्ना)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

xx xx xx

---2---/-

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

(S.N. SASTRY)
Unit Head

कार्यालय नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्र संख्या 15 / [illegible] दिनांक: लखनऊ: जुलाई 5, 1994.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

(1) अध्यक्ष, कनौरिया केमिकल्स, एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो० रेनुकूट, सोनभद्र।
(2) प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट।
(3) वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त-2, रामनगर, वाराणसी।
(4) श्री अविनाश राय, शाखा प्रबन्धक, (लखनऊ) कनौरिया केमिकल्स, एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, सी-13 निराला नगर, लखनऊ-226020.

(जी०सी० मिश्र)
नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उ०प्र०, लखनऊ।

रतन/4/7/94.

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)

(S.N. SASTRY)
Unit Head